भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3513
सोमवार, 11 अगस्त, 2025 / 20 श्रावण, 1947 (शक)

श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन

3513. श्री नलिन सोरेनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य राजमार्गों के निर्माण में लगी कंपनियों और अन्य निर्माण एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया जा रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने मौजूदा श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त कंपनियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग, एलिवेटेड सड़क निर्माण कंपनियाँ और अन्य निर्माण एजेंसियाँ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत आती हैं। श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में जिन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या की राज्य-वार सूची अनुबंध में दी गई है। इस संबंध में राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित विवरणों का रखरखाव संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है।

सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल करते हुए एक सुनियोजित निरीक्षण योजना तैयार की है। सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन को लागू करने के लिए बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

* ****

अनुबंध

'श्रम कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन' के संबंध में श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 11.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3513 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	कंपनियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	07
2	असम	05
3	छत्तीसगढ	13
4	गुजरात	16
5	हरियाणा	18
6	हिमाचल प्रदेश	05
7	जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र	08
8	झारखंड	11
9	मध्य प्रदेश	11
10	मेघालय	06
11	मिजोरम	05
12	नागालैंड	02
13	ओडिशा	05
14	पंजाब	13
15	राजस्थान	03
16	उत्तराखंड	09
17	दिल्ली	02
18	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	09

****